

फाइल सं. ए-12018/10/2017-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई) रायपुर, छत्तीसगढ़ में पैरा मेडिकल वर्कर, समूह 'ग' पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), रायपुर, छत्तीसगढ़ में पैरा मेडिकल वर्कर, समूह 'ग' पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। baidyanath.prasad@nic.in


(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक २५/१०/१८

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खड 3, उप-खड (1) मे प्रकाशनाथ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

जाई दिल्ली,2019

सा.का.नि. राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छतीसगढ़ में पैरा मेडिकल वर्कर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2001 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्गा को छोड़कर, एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान, रायपुर, छतीसगढ़ में पैरा मेडिकल वर्कर के पद पर भर्ती कि पद्ति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

23. लघु शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन नियमों को क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छतीसगढ़ पैरा मेडिकल वर्कर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

- (22) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।
2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
3. भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
4. अनर्हता-कोई व्यक्ति
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या
- (ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;
- बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।
5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।
6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पैरा मेडिकल वर्कर	सात पद * (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-3 (रु. 21700 से 69100)	लागु नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच(केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक ढील दी जा सकती है।

नोट 1: आयु
सीमा निर्धारित
करने की
महत्वपूर्ण तिथि
प्रत्येक मामले में,
भारत में
उम्मीदवारों से
आवेदन प्राप्त
करने की अंतिम
तिथि होगी
(अंडमान और
निकोबार द्वीप
समूह और
लक्षद्वीप को
छोड़कर)

नोट 2: रोजगार
कार्यालय के
माध्यम से की
गई भर्ती के
मामले में, आयु
सीमा निर्धारित
करने की

					महत्वपूर्ण तिथि अंतिम तिथि होगी, जिसके तहत रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्धति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. 10वी कक्षा उत्तीर्ण अथवा सदृश अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से । 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पैरा मेडिकल वर्कर प्रशिक्षण पास करने का प्रमाण पत्र।	लागू नहीं	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती से नोट: - प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जा सकते हैं: - (ए) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद; या (ii) स्तर -2 में पद या ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवा के बराबर; तथा (ख) कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करनें में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक-आरएलटीआरआई रायपुर - अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - आरएलटीआरआई रायपुर -सदस्य 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आरएलटीआरआई, रायपुर-सदस्य 4. क्षेत्र में दूसरे केंद्र/राज्य के राजपत्रित अधिकारी -सदस्य 	लागू नहीं